

IN THE COURT OF THE DEPUTY COMMISSIONER, WEST SINGHBHUM, CHHATTISGARH

UNDER SECTION 215 C.N.T. Act
NATURE OF CASE S.A.R. Appeal No. 17/2017-18
NAME OF PARTIES Ranjendra Sah -v/s- Rango Gagarai

35
15/4/23

11
XXII-1/23

SI No &
Date of
order

Order

Note of
action taken
order with
date

16.9.22

13/04/23

यह अपील अपीलकर्ता द्वारा 29.01.2018 को एस० ए० आर० केस सं०-01/15-16 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2017 के विरुद्ध जो कि एस० ए० आर० की धारा 71 (A) में पारित आदेश की विरुद्ध धारा 215 (5) छोटानागपुर काश्त कारी अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किया गया है।

इस अपील में निम्न अदालत अभिलेख मांगा गया तथा उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया उत्तरवादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना आपत्ति आवेदन दिनांक 25.09.2018 को दाखिल किया गया। इस अपील में दिनांक 08.08.22 को प्रथम पक्ष/अपीलार्थी उपस्थित नहीं होने के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो सका, द्वितीय पक्ष की सुनवाई किया गया। प्रथम पक्ष को सुनवाई हेतु दिनांक 16.08.2022 को अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 16.08.2022 को पूर्ण रूप से सुनवाई किया गया। दिनांक 22.08.2022 तक लिखित बहस दाखिल करने का समय दिया। दिनांक 22.08.2022 को उत्तरवादी द्वारा लिखित बहस दिया गया। अपीलकर्ता की ओर से कोई लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया। फिर भी अपीलकर्ता को 01.09.2022 तक लिखित बहस दाखिल करने का समय दिया गया। फिर भी अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 01.09.2022 को लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया।

अतः अपील को आदेशार्थ रखा गया।

अपीलकर्ता के विद् अधिवक्ता का तर्क यह है कि विवादित जमीन थाना नं०-68, खाता सं०- 96, प्लॉट सं०-28, रक्वा-0.09 के आंशिक भूमि मौजा- चक्रधरपुर को शान्ती देवी द्वारा रेजिस्टर्ड केवाला 1396/1340 दिनांक 02.05.1986 को खरीदा गया था। शान्ती देवी जो अपीलकर्ता की पत्नी है उक्त भूमि पर बिना किसी बाधा के कब्जा किया एवं शान्ती देवी उक्त जमीन पर 02.05.1986 से अपना घर बना कर रही है। जो कि 30 (तीस) वर्ष से उपर का है तथा धारा 71(A) इस पर लागू नहीं होता है। अपीलकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि जमीन क्रय भिलेख उनका नाम पर है तथा एस० ए० आर० केस अपीलकर्ता पर गलत रूप से किया गया है। जमीन खाली करने का आदेश राजेन्द्र साह पर लागू नहीं होता है तथा निम्न अदालत द्वारा उक्त वाद में उन्हें प्रतिवादी नहीं बनाया गया है। यह जानते हुए भी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2017 पूर्णतया गैर कानूनी है। अतः भूमि सुधार उपसमाहर्ता के आदेश दिनांक 08.12.2017 को खारिज किया जाय।

दूसरी ओर उत्तरवादी के विद् अधिवक्ता को यह कथन है कि जमीन उत्तरवादी रेंगो गागराई के पूर्वक बाबू हो के नाम से खतियान में दर्ज है। 1973 का सर्वे खतियान अविवादित एवं मान्य दस्तावेज है। चूंकि सर्वे खतियान को किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति या तकरार नहीं किया गया। यह कानून अविवादित है कि आदिवासी का जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। अपीलकर्ता का यह दावा है कि यह जमीन अपीलकर्ता की पत्नी द्वारा 1987 में खरीदा गया है। यह सिद्ध करता उसके पूर्व इनका उपरोक्त जमीन पर

SI No &
Date of
order

Order

THE COURT OF
action
order
date
&
of 20/0 का कार्यवाही

कोई दखल नहीं था। अपीलकर्ता का यह तर्क है कि उस पर भवन निर्माण है तथा जमीन का स्वरूप बदल गया है, कानून की दृष्टि में मानीय नहीं है।

मेरे द्वारा निम्न अदालत में पारित आदेश तथा अभिलेख का अवलोकन ध्यान पूर्वक किया गया है। निम्न अदालत का तथ्य है कि बाबू हो नाबालिक का धर्म पिता बनकर शेष महबूब द्वारा हस्तांतरण पूर्णतया प्रथम दृष्टया अवैध प्रतीत होता है मेरे विचार से सही प्रतीत होता है। आदेश की अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर के आदेश दिनांक 08.12.2017 विधि सम्मत है और उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप या परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अतः अपील को खारिज किया जाता है तथा दिनांक 08.12.2017 को पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है।

लेखापित।


उपायुक्त

पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।


उपायुक्त

पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

ज्ञापांक 269(8)/विधि०, दिनांक 21/02/23

प्रतिलिपि:- निदेशानुसार भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पोड़ाहाट चक्रधरपुर को एस०ए०आर० केस संख्या- 1/ 2015-16 अभिलेख संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट चक्रधरपुर का सूचनार्थ प्रेषित।


21/2/22
उपसमाहर्ता प्रभारी,
विधि शाखा,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।